

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 687 सन 2021

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कृष्णलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कमला पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. महेन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. रमेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. जगदीश पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. विश्रपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. शिवकुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. रमेश पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. सन्तो पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. रामरतन पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 25.11.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 155/350 की कुल 0.5060हैक् औरमप्रकाश, खाता संख्या 163/350 की कुल 1.9990हैक् जगदीश, खाता संख्या 350/130 की कुल 2.0240हैक् कृष्णलाल, खाता संख्या 386/324 की कुल 3.2890हैक् मुशतरका खाते में खाता संख्या 697/350 की कुल 58950हैक् कमला महेन्द्र रमेश खाता संख्या 156/156 की कुल 3.200हैक् जगदीश, विश्रपाल शिवरतन,खाता संख्या 443/363 की कुल 3.2010हैक् रमेश सन्तो ,खाता संख्या 493/363 की कुल 3.2130हैक् रामरतन के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 11 के नाम से दर्ज है कुछ खातो में मुशतरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य हे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने काश्त की सूविधा एवं सिचाई सुविधा एवं आवागमन की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नहीं है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कई मर्तबा कहा की वादी एवं प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का काश्त/सिचाई /आवागम की सूविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादी एव प्रतिवादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं हे व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 11 के नाम से दर्ज है कुछ खातों में मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 एक ही परिवार के सदस्य हे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने काशत की सूविधा एवं सिचाई सुविधा एवं आवागमन की सूविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया था उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि

वादी ओमप्रकाश के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 163/350 के प0न0 327/354(107) के किला न0 17 ,18 ,19 ,20/1.0120हैक खाता संख्या 350/130(144) के किला न0 11 ,12 ,19 ,20/1.0120हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 386/324 की भूमि में सयुक्त तौर से 1.006हैक एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है एवं खाता संख्या 697/350 के प0न0 327/355(144) के किला न0 23 ,24/0.506हैक, प0न0 327/355(144) के किला न0 1 की 0.063हैक , 2/0.063हैक उत्तरी दिशा की भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 326/354(106) के किला न0 15/1 की 0.025 ,15/2 की 0.228 ,प0न0 327/354(107) किला न0 11 ,12/0.5060 ,प0न0 327/355(144) के किला न0 1/0.177 ,2/0.177 ,9 ,10/0.5060हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 341/355(130) के किला न0 4/0.2530 ,5/1 की 0.125 ,5/2 की 0.228हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 327/352(58) के किला न0 25/2 की 0.1270हैक भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 9,10 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 334/356(168) के किला न0 21/0.196 ,प0न0 334/357(212) के किला न0 1/0.2530 ,भूमि रहेगी।प्रतिवादी संख्या 11 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 334/356(168) के किला न0 11/3 की 0.1840 ,20/0.2530 ,21/0.057 ,प0न0 327/353(193) किला न0 2/0.2530 ,मे से 0.089 ,प0न0 329/353(90) के किला न0 1/0.0380हैक भूमि पश्चिम साईड रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...मलवाणी

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 जगदीश पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 2 कृष्णलाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 3 कमला पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4 महेन्द्र पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 5 रमेश पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 6 जगदीश पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 7 विश्रपाल पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 8 शिवकुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 9 रमेश पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 10 सन्तो पत्नी राजाराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 11 रामरतन पुत्र चुन्नीराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 687 सन 2021 निर्णय दिनांक- 25.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी ओमप्रकाश के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 163/350 के प0न0 327/354(107) के किला न0 17 ,18 ,19 ,20/1.0120हैक् खाता संख्या 350/130(144) के किला न0 11 ,12 ,19 ,20/1.0120हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 386/324 की भूमि में सयुक्त तौर से 1.006हैक् एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम कलमजन किया जाता है एवं खाता संख्या 697/350 के प0न0 327/355(144) के किला न0 23 ,24/0.506हैक्, प0न0 327/355(144) के किला न0 1 की 0.063हैक् , 2/0.063हैक् उत्तरी दिशा की भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 326/354(106) के किला न0 15/1 की 0.025 ,15/2 की 0.228 ,प0न0 327/354(107) किला न0 11 ,12/0.5060 ,प0न0 327/355(144) के किला न0 1/0.177 ,2/0.177 ,9 ,10/0.5060हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 341/355(130) के किला न0 4/0.2530 ,5/1 की 0.125 ,5/2 की 0.228हैक् भूमि रहेगी।


प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 327/352(58) के किला न0 25/2 की 0.1270हैक् भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 9,10 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0 334/356(168) के किला न0 21/0.196 ,प0न0 334/357(212) के किला न0 1/0.2530 ,भूमि रहेगी।

प्रतिवादी संख्या 11 के पास रोही मौजा चक 3 बारानी के प0न0334/356(168) के किला न0 11/3 की 0.1840 ,20/0.2530 ,21/0.057 ,प0न0 327/353(193) किला न0 2/0.2530 ,मे से 0.089 ,प0न0 329/353(90) के किला न0 1/0.0380हैक् भूमि पश्चिम साईड रहेगी।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट...मलवाणी